अनुदान संख्या 14 - दूरसंचार विभाग
GRANT No. 14–DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	10150,00,00		10765,87,00	10853,68,61	+87,81,61
पूरक	Supplementary	615,87,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					40,20,79
पूंजीगत:	**Capital:**					
मूल	Original	104,00,00		275,75,00	273,61,06	–2,13,94
पूरक	Supplementary	171,75,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, यद्यपि दिसम्बर, 2009 और मार्च, 2010 में 61587.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया था और 4020.79 लाख रु. की राशि अभ्यर्पित की गई थी, व्यय स्वीकृत प्रावधान से 8781.61 लाख रु. अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय 87,81,60,488 रु. था)। **इस अधिक व्यय को संसद द्वारा अनुदानों की अधिक मांगे स्वीकृत करवाकर विनियमित कराए जाने की आवश्यकता है।**

अधिक व्यय/बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुआ/हुईं:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, although supplementary grants of Rs.61587.00 lakhs was obtained in December, 2009 and March, 2010 and an amount of Rs.4020.79 lakhs was surrendered, the expenditure exceeded the sanctioned provision by Rs.8781.61 lakhs (actual excess was Rs.87,81,60,488). **The excess requires regularization by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

Excess/savings occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	46269.00	23910.26	24489.75	+579.49
पु.	R.	–22358.74			
मुख्य शीर्ष "2071" पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head "2071" Pensions and Other Retirement Benefits				
मू.	O.	192500.00	274700.00	289382.07	+14682.07
पू.	S.	60724.00			
पु.	R.	21476.00			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	3500.00	1000.00	. .	–1000.00
पु.	R.	–2500.00			
मुख्य शीर्ष "3275" अन्य संचार सेवाएं	Major Head "3275" Other Communication Services				
मू.	O.	772731.00	772955.95	771496.79	–1459.16
पू.	S.	863.00			
पु.	R.	–638.05			

(I) अधिक व्यय (21382.04 लाख रु.) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए हुआ जैसा कि मुख्य शीर्ष "2071" - "सिविल" - के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 24924.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(I) The excess (Rs.21382.04 lakhs) occurred for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.24924.00 lakhs under Major Head "2071" – "Civil" – under the following heads:-

(का) ''अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते - सामान्य पेंशन'' - 14381.94 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 28825.17 लाख रु. था।

(A) "Superannuation and Retirement Allowances – Ordinary Pensions" – Rs.14381.94 lakhs. Actual excess, however, was Rs.28825.17 lakhs.

(खा) ''उपदान - सामान्य पेंशन'' - 7000.10 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 6960.95 लाख रु. था।

(B) "Gratuities – Ordinary Pensions" – Rs.7000.10 lakhs. Actual excess, however, was Rs.6860.95 lakhs.

(II) मुख्य शीर्ष ''2071'' - ''सिविल - परिवार पेंशन - परिवार पेंशन के अंतर्गत 2401.98 लाख रु. का अधिक व्यय (6385.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 25310.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) Under Major Head "2071" – "Civil – Family Pensions - Family Pensions" – excess of Rs.2401.98 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.25310.00 lakhs including supplementary grant of Rs.6385.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for implementation of 6th Central Pay Commission Report.

2. उपर्युक्त अधिक व्यय नीचे दिए अनुसार बचतों द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गया:-

2. The above excess was partly offset by savings as under:-

(I) 4003.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 4000.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.4003.00 lakhs remained wholly unutilized under four heads; of these Rs.4000.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सामान्य प्रशासन - दूरसंचार विभाग - दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केंद्र'' - 500.00 लाख रु. सुरक्षा परीक्षण संबंधी मानक और कार्यप्रणाली तैयार किए जाने में विलम्ब होने के कारण थे।

(A) Major Head "3451" – "General Administration - Department of Telecommunications–Telecom Testing and Security Certification Centre" – Rs.500.00 lakhs – due to delay in framing of standards and methodology for security testing.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''सामान्य प्रशासन - दूरसंचार विभाग - टेलीमेटिक्स विकास केंद्र'' - 3500.00 लाख रु. परियोजना कार्यान्वयन इकाई स्थापित न किए जाने की वजह से तकनीकी स्कीमें लागू न किए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "2552" – "General Administration – Department of Telecommunications – Centre for Development of Telematics" – Rs.3500.00 lakhs - due to non-implementation of technical schemes owing to non-creation of Project Implementation Unit.

(II) मुख्य शीर्ष ''2071'' - ''सिविल - छुट्टी नकदीकरण लाभ - सामान्य पेंशन'' के अंतर्गत 550.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 174.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 724.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 255.28

(II) Under Major Head "2071" – "Civil – Leave Encashment Benefits – Ordinary Pensions" – the original provision of Rs.550.00 lakhs was augmented to Rs.724.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.174.00 lakhs.

लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई; और

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के अंतर्गत दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2071" - "सिविल - पेंशन का संराशीकृत मूल्य - सामान्य पेंशनें" - 33500.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 20147.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 53647.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, 1668.03 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम दावे प्राप्त होने के कारण हुईं।

(खा) मुख्य शीर्ष "3275" - "अन्य व्यय - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग" - 1430.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 863.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2293.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, राष्ट्रमंडल दूरसंचार संगठन के समेकन लेखों में कुछ विसंगतियां पाए जाने की वजह से सदस्यता शुल्क जारी न किए जाने के कारण 217.21 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष "3451" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "सचिवालय - सचिवालय - संचार मंत्रालय" - 323.30 लाख रु. की बचत (976.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) "सामान्य प्रशासन - दूरसंचार विभाग" -

(क) "निदेशालय" - 2986.61 लाख रु. की बचत (13650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यावसायिक सेवाएं, विज्ञापन और प्रचार के कम दावे प्राप्त होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

However, there was a saving of Rs.255.28 lakhs (including supplementary grant); and

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2071" – "Civil - Commuted Value of Pension-Ordinary Pensions" – the original provision of Rs.33500.00 lakhs was augmented to Rs.53647.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.20147.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs1668.03 lakhs.

Savings under the above two heads were due to receipt of less claims.

(B) Major Head "3275" – "Other Expenditure - International Co-Operation" – the original provision of Rs.1430.00 lakhs was augmented to Rs.2293.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.863.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.217.21 lakhs - due to non-release of membership fee owing to some discrepancies found in consolidation accounts of Commonwealth Telecommunication Organisation.

(IV) Under Major Head "3451" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Secretariat – Secretariat – Ministry of Communications" – saving of Rs.323.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.976.00 lakhs) was due to economy measures.

(B) "General Administration – Department of Telecommunications" –

(a) "Directorate" – saving of Rs.2986.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13650.00 lakhs) was due to receipt of less claims towards professional services, advertising and publicity and economy measures.

(ख) ''टेलीमेटिक्स विकास केंद्र'' - 16500.00 लाख रु. की बचत (26500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) समाशोधन गृह अनुप्रयोग लागू किए जाने के लिए आयामीकृत अवसंरचना स्थापित किए जाने और ब्राड बैंड कार्यकलापों का व्यवहार्यता अध्ययन किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(ग) ''कर्मचारियों को सुखसुविधाएं'' - 182.95 लाख रु. की बचत (268.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(घ) ''प्रशासक - वैश्विक सेवा निधि'' - 289.83 लाख रु. की बचत (590.00 लाख रु.. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अभिकरण कार्य कार्यान्वित न किए जाने के कारण हुई।

(ङ) ''सतर्कता दूरसंचार निगरानी कक्ष'' - 875.42 लाख रु. की बचत (2413.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और घरेलू यात्रा व्यय, व्यावसायिक सेवाओं और सूचना प्रौद्योगिकी के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(v) मुख्य शीर्ष ''3275'' - के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''बेतार आयोजना और समन्वय - बेतार आयोजना और समन्वय'' - 328.70 लाख रु. की बचत (668.00 लाख रु.. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूरी हो चुकी स्कीमों के वार्षिक अनुरक्षण प्रभारों की अदायगी न किए जाने और व्यावसायिक सेवाओं, चिकित्सीय उपचार और सूचना प्रौद्योगिकी के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) ''निगरानी सेवाएं - बेतार निगरानी सेवाएं'' - 1264.20 लाख रु. की बचत (3290.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना कार्यान्वयन इकाई गठित न किए जाने की वजह से तकनीकी स्कीमें लागू न किए जाने के कारण हुई।

(b) "Centre for Development of Telematics" – saving of Rs.16500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.26500.00 lakhs) was due to delay in setting up of dimensioned infrastructure for implementation of clearing house application on commercial basis and feasibility study of broad band activities.

(c) "Amenities to Staff" – saving of Rs.182.95 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.268.00 lakhs) was due to economy measures.

(d) "Administrator –Universal Service Fund" – saving of Rs.289.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.590.00 lakhs) was due to non-implementation of agency functions.

(e) "Vigilance Telecom Monitoring Cells" – saving of Rs.875.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2413.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less claims towards domestic travel expenses, professional services and Information Technology.

(V) Under Major Head "3275" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Wireless Planning and Co-ordination – Wireless Planning and Co-ordination" – saving of Rs.328.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.668.00 lakhs) was due to non-payment of annual maintenance charges for completed scheme and receipt of less claims towards professional services, medical treatment and information technology.

(B) "Monitoring Services - Wireless Monitoring Services" – saving of Rs.1264.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3290.00 lakhs) was due to non-implementation of technical schemes owing to non-creation of Project Implementation Unit.

(गा) "अन्य व्यय'' -

(क) "प्रौद्योगिकी विकास और निवेश संवर्धन'' - 128.94 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु.. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेश यात्रा और विज्ञापन एवं प्रचार संबंधी दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) "भारतीय टेलीफोन उद्योग - बंगलौर'' - 121.00 लाख रु. की बचत (282800.00 लाख रु.. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(C) "Other Expenditure" –

(a) "Technology Development and Investment Promotion" – saving of Rs.123.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to non-receipt of claims towards foreign travel and advertising and publicity.

(b) "Indian Telephone Industries – Bangalore" – saving of Rs.121.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.282800.00 lakhs) was due to economy measures.

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4552'' पूर्वोत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	810.00	2910.00	..	–2910.00
पु.	R.	2100.00			
मुख्य शीर्ष "5275'' अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5275" Capital Outlay on Other Communication Services				
मू.	O.	9490.00	24565.00	27361.06	+2796.06
पू.	S.	15075.00			

(I) 9110.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 9010.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.9110.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.9010.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4552'' - ''अन्य दूरसचांर सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय - अन्य व्यय - रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क'' - 2910.00 लाख रु. (दिसम्बर, 2009 में प्राप्त किए गए 2100.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित) व्यय कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''5275'' - ''अन्य व्यय - मुख्य भूमि तथा अडंमान निकोबार के बीच समुद्रतल में केबल बिछाना'' - 6100.00 लाख रु. स्कीम के ब्योरों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''5275'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं:-

(का) ''अन्य दूरसंचार सुविधाएं'' -

(क) ''कार्यालय भवन'' - 149.40 लाख रु. की बचत (575.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकार से भूमि अधिग्रहण न होने के कारण हुई।

(ख) ''स्टाफ क्वार्टर्स'' - 105.11 लाख रु. की बचत (125.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकार से ठेकेदार के बिल प्राप्त न हाने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य व्यय - दूंरचार अभियांत्रिकी केंद्र'' - 666.76 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अगली पीढ़ी की परीक्षण प्रयोगशालाओं संबंधी मानक तैयार करने में विलंब होने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 59.41 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 59 प्रतिशत थी।

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''5275'' - ''अन्य व्यय - रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई - 9876.74 लाख रु. का अधिक व्यय (दिसम्बर, 2009 में प्राप्त किए गए 15075.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 16865.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(A) Major Head "4552" – "Capital Outlay on Other Communication Services – Other Expenditure – OFC based network for Defence Services" – Rs.2910.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.2100.00 lakhs obtained in December, 2009) – due to booking of expenditure under functional major head.

(B) Major Head "5275" – "Other Expenditure - Undersea Cabling between Land and Andaman Nicobar" – Rs.6100.00 lakhs – due to non-finalisation of details of the scheme.

(II) Under Major Head "5275" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Other Communication Facilities" –

(a) "Office Building" – saving of Rs.149.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.575.00 lakhs) was due to non-acquisition of land from State Government.

(b) "Staff Quarters" – saving of Rs.105.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.125.00 lakhs) was due to non-receipt of contractor bills from State Government.

(B) "Other Expenditure – Telecom Engineering Centre" – saving of Rs.666.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to delay in formulation of standards on Next Generation Test Labs.

(III) Under one head saving of Rs.59.41 lakhs occurred constituting 59 percent of the sanctioned provision.

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "5275" – "Other expenditure - OFC Based network for Defence Services" – excess of Rs.9876.74 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.16865.00 lakhs including supplementary grant of Rs.15075.00 lakhs obtained in December, 2009)

भारत संचार निगम लिमिटेड से प्राप्त दावों का निपटान किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

was due to requirement of additional funds to clear claims received from Bharat Sanchar Nigam Limited.

5. *भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण*

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना 28 मार्च, 1997 को बनाए गए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के अधीन की गई थी। ट्राई (संशोधन) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत इस प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया था। ट्राई ने बेहतर गुणवत्ता और सामर्थ्ययोग्य मूल्यों सहित दूरसंचार के क्षेत्र में अधिक स्पर्धा उत्पन्न करने का प्रयास किया है। नई दूरसंचार नीति, 99 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार की दिनांक 9 जनवरी, 2004 की अधिसूचना द्वारा प्रसारण और केबल सेवाएं भी ट्राई के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आ गई हैं। ट्राई के लिए अनुदान केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2009-10 की निधि का लेखा इस प्रकार था:-

5. *Telecom Regulatory Authority of India:-*

The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) was established under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 enacted on 28th March, 1997. The TRAI (Amendment) Act, 2000 led to reconstitution of the Authority. TRAI has endeavored greater competition in telecom sector together with better quality and affordable prices. In order to meet the objectives of NTP, 99 vide notification of the Government dated 9th January, 2004, broadcasting and cables services have also come under the purview of TRAI. The grants for TRAI is made by Central Government.

The Account of the Fund for 2009-10 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	16,86,78
प्राप्तियां	Receipts	34,00,00
अदायगियां	Payments	33,30,00
अंतशेष	Closing Balance	17,56,78

6. *विश्वव्यापी सेवा दायित्व निधि:-*

नई दूरसंचार नीति 99 में सभी को सामर्थ्ययोग्य और उपयुक्त मूल्यों पर मूल दूरसंचार सेवाओं की पहुंच के अंतर्गत लाने के प्रावधान पर विचार किया गया है। विश्वव्यापी सेवा दायित्व को पूरा करने के लिए संसाधन विश्वव्यापी सेवा उद्ग्रहण के माध्यम से उत्पन्न किए जाएंगे जोकि आपरेटरों और विभिन्न लाइसेंसों के अंतर्गत अर्जित राजस्व का प्रतिशत होंगे। लाइसेंस शुल्क के संघटक के रूप में सेवा प्रदाताओं से विश्वव्यापी सेवा उद्ग्रहण के अंतर्गत संग्रहणों को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है और विश्वव्यापी सेवा दायित्व निधि को

6. *Universal Service Obligation Fund:-*

The New Telecom Policy 99 (NTP-99) envisages provision of access to basic telecom services to all at affordable and reasonable prices. The resources for meeting the Universal Service Obligation (USO) are to be generated through a Universal Service Levy (USL) which would be a percentage of the revenue earned by the operators under various licenses. Collections towards Universal Service Levy (USL) from service providers as a component of license fee (LF) are credited to the Consolidated Fund of India and

अंतरण के लिए निधियों का अंतरण बजट प्रक्रिया के अनुसार संसद के अनुमोदन के माध्यम से किया जाता है।

allotment of funds for transfer to Universal Service Obligation Fund is made through Parliamentary approval as per Budgetary procedure.

वर्ष 2009-10 की निधि का लेखा इस प्रकार था:-

The Account of the Fund for 2009-10 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	शून्य Nil
प्राप्तियां	Receipts	2400,00,00
अदायगियां	Payments	2400,00,00
अंतशेष	Closing Balance	शून्य Nil